

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:- प.24(15)(1)विविध/अभि./2021पार्ट-I

जयपुर, दिनांक: 22/03/2023

आदेश

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(1)न्याय/2022 दिनांक 20.06.2022 व अधिसूचना क्रमांक प.1(1)न्याय/2022 दिनांक 20.06.2022 एवं अधिसूचना क्रमांक प.1(1)न्याय/2022 दिनांक 20.06.2022 के द्वारा निम्नानुसार नवसृजित न्यायालयों का सृजन किया गया है, उक्त न्यायालयों में अभियोजन पैरवी कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार नवीन पदों का सृजन किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	पदनाम	पदों की संख्या
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा, जिला- राजसमन्द	सहायक अभियोजन अधिकारी	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01
2	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, सीकर	सहायक अभियोजन अधिकारी	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01
3	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मसुदा, जिला-अजमेर	सहायक अभियोजन अधिकारी	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01
4	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेडवा, जिला-बाडमेर (बालोतरा न्याय क्षेत्र)	सहायक अभियोजन अधिकारी	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01
5	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरमथुरा, जिला-धौलपुर	सहायक अभियोजन अधिकारी	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01
6	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आहोर, जिला-जालोर	सहायक अभियोजन अधिकारी	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01
7	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद, जिला-सीकर	सहायक अभियोजन अधिकारी	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01

कुल स्वीकृत पद

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	सहायक अभियोजन अधिकारी	07
2.	कनिष्ठ सहायक	07
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (होमगार्ड)	07
	कुल योग	21

वित्त (व्यय-4) विभाग कि आई.डी.संख्या 102204628 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा सहमति प्राप्त कर स्वीकृती एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

अभियोजन विभाग उक्त पदों को IFMS पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,




(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक, कार्य विभाग।
7. जिला कलक्टर राजसमंद, सीकर, अजमेर, बाडमेर, धौलपुर एवं जालौर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
9. संबंधित न्यायालय।
10. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त न्यायालयों में स्वीकृत पदों पर पदस्थापन किया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान।
12. संस्थापन शाखा अराजपत्रित/एसीआर/मंत्रालयिक कनिष्ठ/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
13. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
14. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, गृह (विधि)